झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज प्रभाग)

सूचना

विज्ञापन संख्या PR-169457 द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाि”ात पंचायत राज स्व”ाासन परिषद्, झारखण्ड के अधीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु online आवेदन करने की तिथि सं”ाोधित कर दिनांक **15.09.2017 से 05.10.2017** की जाती है।

2. शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

ह0/–
(रंजीत रंजन प्रसाद)
अवर सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज प्रभाग)

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

पंचायत राज स्वशासन परिषद अंतर्गत, निहित प्रावधान एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप सृजित: मुख्य कार्यपालक के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु आँनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। उम्मीदवार अहर्ता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गतआवेदन दे सकते है। आँनलाईन आवेदन विभाग के वेबसाइट www.applyrdd.jharkhand.gov.in पर लॉगइन करके समर्पित किया जा सकता है।

1:मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की रिक्ति :

क्रमांक	पद का नाम	पद संख्या	मानदेय / संविदा राशि
क)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (राज्य स्तर)	1	97700 /- रुपये प्रति माह (सरकार द्वारा राशि में कमी या वृद्धि की जा सकेगी)

2 :(क) आयुसीमा,अनिवार्य योग्यता , कार्य अनुभव एवं कार्य विवरण: मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

आयु सीमा	35 – 45 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय

- ❖ सरकार द्वारा नामित भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/पंचायत राज सेवा/विशिष्ट व्यक्ति होंगे।
- ❖ सरकार द्वारा झारखंड पंचायत राज स्वशासन परिषद (सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2017 की कंडिका 3 (1) (क) में अंकित वेतनमान वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/पंचायत राज सेवा के पदाधिकारी को पदस्थापित किया जा सकता है।
- ❖ विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सरकार द्वारा नामित/चयनित किया जा सकेगा जिनकी योग्यता एवं अनुभव निम्नवत होगी :-
    - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में एम.टेक/एम.इ/एम.बी.ए/एम.सी.ए/ पी.जी.डी.आर.डी/ पी.जी.डी.आर.एम/ पी.जी.डी.बी.ए/पी.जी.डी.बी.एम या ग्रामीण विकास/समाज कार्य/ राजनीति विज्ञान /लोकप्रशासन/ माजशास्त्र/मानवशास्त्र/भूगोल/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी से सम्बंधित विषय में स्नातकोत्तर।

	• त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, निति निर्धारण एवं विकेंद्रीकरण नियोजन में 10 वर्षों का कार्यानुभव जिसमें 5 वर्षों का अनुभव झारखंड में ग्रामीण विकास/पंचायती राज प्रक्षेत्र में कार्य करने का हो। • पंचायती राज मंत्रालय/ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकलापों एवं नीतियों से अवगत हों एवं कार्य करने का अनुभव हो।
कार्य का विवरण	• परिषद के प्रशासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन। • पंचायत स्वयंसेवकों के चयन, प्रशिक्षण, दायित्व निरूपण, नियंत्रण एवं निष्कासन से सम्बंधित कार्य। • परिषद के संचालन के लिए बजट निर्माण एवं व्यय प्रबंधन। • कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना। • परिषद के क्रियाकलापों से सम्बंधित संस्थाओं एवं पदधारकों/हितधारकों से समन्वय • समय-समय पर परिषद द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य

3: चयन प्रक्रिया

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

1. शैक्षणिक योग्यताओं एवं कार्यानुभव के स्कोर के आधार पर अभ्यार्थियों की श्रेणीवार “प्रारंभिक मेधा सूची” साक्षात्कार हेतू तैयार की जायेगी
2. शैक्षणिक योग्यता स्कोर, कार्यानुभव स्कोर एवं साक्षात्कार में प्राप्त स्कोर के आधार पर अंतिम मेधा सूची नियुक्ति हेतू तैयार की जायेगी

योग्यता स्कोर निर्धारित करने की प्रक्रिया:-

❖ **प्रारंभिक मेधा सूचि**

क)प्रारंभिक मेधा सूची निर्धारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता का 60% weightage एवंकार्यानुभव का 20%weightage जोड़ कर निकाला जाएगा।

ख) कुल स्कोर के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जायेगी।

❖ **अंतिम मेधा सूची तैयार करने की विधि एवं पदों पर नियुक्ति**

अंतिम चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता का 60% weightage, कार्यानुभव का 20% weightage एवं साक्षात्कार का 20% weightage को जोड़ कर तैयार किया जायेगा।

4: वार्षिक समीक्षा

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिनके नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज) है के द्वारा उनके कार्य की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

5: संविदा पर नियुक्ति हेतू नियम एवं शर्तें

i. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा (contractual basis) के आधार पर होगी।
ii. ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का परिषद् पर कोई दायित्व नहीं होगा।
iii. नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएँगी। तत्पश्चात कार्य संतोषजनक पाए जाने पर संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा अन्यथा ऐसी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी।
iv. यदि कोई कर्मी स्वतः सेवा मुक्त होना चाहेगा तो उसे 1 माह पूर्व लिखित रूप से सूचित करने अथवा 1 माह की परिलब्धि जमा करने पर सेवा मुक्त किया जायेगा, किन्तु असंतोषप्रद सेवा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा एक माह के पूर्व सूचना अथवा एक माह की परिलब्धि दे कर सेवा समाप्त की जाएगी।
v. संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलंडर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा परन्तु वे किसी अन्य अवकाश के हक़दार नहीं होंगे।
vi. संविदा पर नियुक्त कर्मी को नियत मानदेय अनुमान्य होगा। नियत मानदेय के अलावे किसी प्रकार का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा किन्तु सरकारी कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए नियत प्रावधानों के तहत यात्रा भत्ता देय होगा।
vii. संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की आचार संहिता लागू होगी।

6: परीक्षा शुल्क :

परीक्षा शुल्क रुपये : 1000/- (एक हजार) रुपये है, जिसे online समर्पित किया जाएगा। अन्य माध्यमों से समर्पित परीक्षा शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।